प्रेस नोट 28/11/2024

थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजकर फॉड की गयी कुल धनराशि 01 लाख रुपये वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजकर फॉड की शिकार पीडिता फजिल खान पुत्र इरफान खान निवासी शेखवाडा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कुल 01 लाख रुपये की कुल धनराशि को पीडिता के खाते में पुनः वापस कराया गया। आवेदक द्वारा मऊ पुलिस को आभार व्यक्त किया गया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर फॉड से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र नाथ राय थाना मुहम्मदाबाद, नि0अपराध श्री ओमप्रकाश यादव, उ0नि0 अविनाश यादव, उ0नि0 देवेश मिश्र, म0का0 प्रियंका मिश्रा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

साथ ही साथ थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की साइबर टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए आंनलाइन ठगी के शिकार पीडित योगेन्द्र यादव पुत्र श्री शिवपति निवासी सरवां थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कुल 03 हजार रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह, निरिक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, का0आ0 नितेश तिवारी, म0आ0 शिखा तिवारी।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत हत्या मामले में दोषसिद्ध 02 अभियुक्त आजीवन कारावास व ₹50,000–50,000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे–1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 28–11–2024 को मु0अ0सं0 125/21 धारा 302,307 भादवि थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्तगण पिंटू उर्फ भूपेंन्द्र विश्वकर्मा व अखिलेश विश्वकर्मा पुत्रगण स्व0 बुद्धिराम निवासीगण कालीचौरा दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹50,000–50,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।